

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद धुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक: “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-1-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372]

रायपुर,, सोमवार,, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 – पौष 10, शक 1929

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग जी.ई.रोड, सिविल लाईन्स, रायपुर

रायपुर दिनांक 31 दिसम्बर 2007

क्रमांक: 23/सी.एस.ई.आर.सी./2007./छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (2) (v), धारा 47 (4) सहपठित धारा 181 (2) (w), धारा 47 (2), 47 (3) तथा 47 (s), सहपठित धारा 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा राज्य के अनुज्ञप्तिधारी को दिये जाने वाले सुरक्षा निधि के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, (सुरक्षा निधि) विनियम, 2005 (जिसे एतस्मिन् पश्चात “प्रधान विनियम” से संबोधित किया गया है) बनायी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता में संशोधन के परिणामस्वरूप उपरोक्त विनियम में भी कतिपय संशोधन करना अपरिहार्य हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, प्रधान विनियम के विनियम 10 द्वारा स्वयं में वेष्टित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संदर्भ में सभी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा दिये गए सुझावों/टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. संक्षिप्त नाम, परिभाषाएं एवं प्रारम्भ

- (i) यह संशोधन विनियम “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि – प्रथम संशोधन) विनियम, 2007” कही जायेगी।

- (ii) यह विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।
2. प्रधान विनियम के विनियम 3.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :
- "अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति से, जो धारा 43 के अनुसरण में विद्युत प्रदाय की मांग करता है, धारा 47 की उपधारा (1) की कंडिका (a) के प्रावधानों के अनुसार प्रदाय की गई विद्युत के संबंध में, सुरक्षा निधि की मांग कर सकेगा" ।
3. प्रधान विनियम के विनियम 3.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :
- "सुरक्षा निधि नकद, डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा धनादेश (चेक) के रूप में स्वीकार किया जायेगा। धनादेश के मामले में विद्युत प्रदाय का प्रारंभ केवल धनादेश की राशि प्राप्त होने के उपरांत ही प्रभावी की जावेगी ।"
4. विनियम 3.2 के पश्चात् नवीन विनियम 3.3 जोड़ा जाता है जो निम्नानुसार है :
- "3.3 उपरोक्त विनियम 3.2 के प्रावधानों के बाजवूद, अनुज्ञप्तिधारी किसी उपभोक्ता से उसके इच्छा के अनुसार, किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अखंडनीय साख-पत्र अथवा निःशर्त बैंक प्रत्याभूति (गारंटी) जो कि संबंधित बैंक द्वारा सत्यप्रमाणित किये जाने के अधीन होगी, सुरक्षा निधि लेने पर विचार कर सकेगा, परंतु यह है कि उपभोक्ता का—
- (i) स्वीकृत भार 5 एम.वी.ए. अथवा उससे अधिक हो तथा
- (ii) कोई निर्विवाद राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम की धारा 56 के अधीन देय नहीं हो।
- ऐसे मामलों में वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर कोई ब्याज के भुगतान का दायित्व नहीं होगा तथा बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करने वाले उपभोक्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यथासमय उस बैंक प्रत्याभूति का नवीनीकरण करवा ले। समय पर नवीनीकरण ना होने की स्थिति में उसकी प्रदाय, बिना पूर्व सूचना के विच्छेद की जा सकेगा।
- पुनः बशर्ते नियमित विद्युत देयकों के नियत समयावधि के भीतर भुगतान नहीं करने की दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को 15 दिवस की सूचना देकर बैंक प्रत्याभूति को प्रवर्तित कर राशि प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा ।"
5. प्रधान विनियम में विनियम 6 के शीर्ष "विद्युत सुरक्षा निधि (ई.एस.डी.) को "विद्युत के प्रदाय हेतु सुरक्षा निधि" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।
6. प्रधान विनियम के विनियम 6.2 में दी गई तालिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

क्रमांक	उपभोक्ता वर्ग	दिवसों की संख्या
1.	कृषि i) स्थायी ii) अस्थायी	90 अस्थायी संयोजन की सम्पूर्ण अवधि के लिए
2.	स्टोन क्रसर/हाट मिक्सर सयंत्र	90
3.	परिसर के विधिक अधिवास का प्रमाण देने में असमर्थ उपभोक्ता	90
4.	अन्य सभी उपभोक्ता	45

7. प्रधान विनियम के विनियम 7 के शीर्ष "उर्जा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा निधि" को "अतिरिक्त सुरक्षा निधि/सुरक्षा निधि का प्रतिदाय" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

8. प्रधान विनियम के विनियम 7.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

"उपभोक्ता से ली गई सुरक्षा निधि का, प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में, विगत 12 महिनों में हुई वार्षिक खपत के आधार पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुनर्विलोकन किया जायेगा । इस पुनर्विलोकन के आधार पर, इस विनियम के विनियम 6.2 में उल्लेखित अवधि में लागू टैरिफ के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी औसत खपत के समतुल्य सुरक्षा निधि नियत करेगा ।

बशर्ते, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित सुरक्षा निधि में पुनर्विलोकन पर विचलन (उन्नयन/अवनयन) केवल तभी किया जायेगा जब विद्यमान सुरक्षा निधि तथा पुनर्विलोकन पर आवश्यक सुरक्षा निधि में, निम्न दाब के मामलों में 20 प्रतिशत, तथा उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के मामलों में रु. 10,000/- (रूपए दस हजार केबल) का अंतर हो ।"

9. प्रधान विनियम के विनियम 7.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

"अतिरिक्त सुरक्षा निधि, यदि आवश्यक हो, तो नियमित विद्युत-देयकों में सम्मिलित किया जायेगा जिसका भुगतान विद्युत-देयक के साथ, देय तिथि के भीतर देय होगा । यदि उपभोक्ता, देयक के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा निधि का भुगतान करने में चूक करता है, तो, जब तक ऐसी चूक जारी रहती है, तब तक अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय को अस्वीकार करने अथवा रोक देने का अधिकार होगा । उपभोक्ता द्वारा सुरक्षा निधि के भुगतान में विलंब करने पर, अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय संयोजन के विच्छेदन के अधिकार को यथावत रखते हुए, उपभोक्ता पर उर्जा/मांग प्रभारों के भुगतान में विलंब होने पर देय अधिभार के समतुल्य अधिभार का भुगतान करने का दायित्व होगा ।

बशर्ते, सुरक्षा निधि के आधिक्य के वापसी के मामले में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उसे उपभोक्ता के आगामी माह के विद्युत देयकों में समायोजन के माध्यम से उपभोक्ता के लेखे में समाकलित किया जायेगा । यदि ऐसे समायोजन के पश्चात कुछ अतिशेष बचता है तो वह उपभोक्ता को 7 दिवसों के भीतर भुगतान किया जायेगा ।"

10. प्रधान विनियम के विनियम 8.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

“ब्याज की राशि का आंकलन, प्रतिवर्ष अप्रैल माह में, पूर्ववर्ती वर्ष हेतु किया जायेगा । इस तरह से आंकलित ब्याज का भुगतान उसी वर्ष के मई माह के मासिक विद्युत देयक/ देयकों में पूर्णतः समायोजन के माध्यम से किया जायेगा।”

11. प्रधान विनियम के विनियम 8.3 के अन्त में स्थित शब्दों “विलंब की अवधि के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसे विलंब के लिए अधिरोपित अन्य शास्तियों के अतिरिक्त” को विलोपित किया जाता है ।

टीपः—इस विनियम के हिन्दी संस्करण के प्रावधानों तथा अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के प्रावधानों के मध्य निर्वचन अथवा अर्थान्वयन में कोई अन्तर होने पर, पश्चातवर्ती लागू होगा तथा इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

आयोग के आदेशानुसार,

**(एन.के. रूपवानी)
सचिव**